[1/4/2016]

प्रपत्र-"3"

कार्यालय अधीक्षण यंत्री,
जल संसाधन मंडल, छिंदवाडा

दूरभाष कार्या. 07162-220550, ई मेल Sewrc.cwa@gmail.com

ज्ञापन क्र. 261 /फा.न. 12/कार्य /वीआई.पी./2016.छिंदवाडा. दिनांक 9/12/16.

प्रति,

मुख्य अभियंता,
वैनगंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
सिवनी (म.प्र.)।

विषय :- माननीय मंत्रीजी म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पत्रों पर कार्यवाही
(पेंच व्यपवर्तन परियोजना में डूब से प्रभावित ग्रामीणों की समस्या के संबंध में)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं0 500/ई/कार्य-15/वीआई.पी./सिवनी/दिनांक 08.12.2016

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में पेंच व्यपवर्तन परियोजना में डूब से प्रभावित ग्रामीणों की समस्या के संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्री के निरीक्षण एवं टीप के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैं।

मुआवजा से संबंधित :-डूब क्षेत्र के सभी भू-अर्जन प्रकरण जिनमें 01.04.2014 के उपरान्त अवार्ड पारित हुये है। उनमें 30 प्रतिशत सोलेशियम के स्थान पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि का भुगतान किया जाना है। सभी प्रकरणों में 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि के साथ मुआवजा वितरण कर दिया गया है। शेष 70 प्रतिशत राशि सोलेशियम राशि का भुगतान भी जैसे-जैसे आबंटन प्राप्त होता जा रहा है, तदानुसार किया जा रहा है।

जहां तक कृषकों को सिंचित/असिंचित भूमि के पुनः सर्वेक्षण का प्रश्न है, वह नहीं किया जा रहा है। पूर्व में पारित अवार्ड में जो भूमि सिंचित/असिंचित दर्शायी गयी है उसके अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है।

पुनर्वास :- ग्राम धनौरा के डूब प्रभावितों के लिए निर्माणाधीन आवासीय कालोनी में निर्माण एजेन्सी द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, उससे संबंधित निर्माण मटेरियल्स जैसे ईट, क्रांक्रीट, मेटल, रेत, सीमेन्ट आदि का समय समय पर पेंच व्यपवर्तन परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई द्वारा निर्माण सामग्री का परिक्षण किया जाता है उस इकाई की रिपोर्ट संतुष्ट होने पर ही निमार्ण कार्य जैसे नाली निर्माण कार्य में सामग्री का उपयोग होता है अतः यह कहना उचित नहीं है कि एजेन्सी द्वारा अत्यंत घटिया किस्म का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं चूँकि जिस स्थान पर उक्त नाली का निर्माण हो रहा हैवह कटिंग में थी उस स्थान को फिलिंग कराकर निर्माण कार्य हुआ है चूँकि आवागमन में ट्रेक्टर आदि का परिवहन होता है उस स्थिति में फिलिंग की नाली का निर्माण में कहीं कहीं टूट फूट होना स्वाभविक है उस स्थिति में भी एजेन्सी द्वारा पुनः निर्माण कर ठीक करा दिया गया है। पेयजल हेतु निर्मित कूप का उपरी प्लेटफार्म सेटलमेन्ट होने के कारण हल्की दरार आ जाने के कारण पुनः निर्माण एजेन्सी द्वारा तैयार कर दिया गया हैं। निर्माणाधीन आवासीय कालोनी में पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इन पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कलेक्टर महोदय द्वारा भी कई बार किया जा चुका है। यहां किये गये कार्यों की गुणवत्ता मापदण्ड अनुसार है।

सहपत्र :- शून्य।

09.12.2016
(पी.एन.गौर)
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मंडल,
छिंदवाडा